फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

भंवरलाल बनाम उगमा (कंवरा)

किस्म मुकदमा प्रा.पत्र 111-128 नं० 28 सन् 2022

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
[illegible]-2-22	वाद / प्रार्थनापत्र बाद जॉच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें । पत्रावली दिनांक 29/3/22 को पेश हो । उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर माण्डल	
29/3/22	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण 1 लगायत 27, 29 से 32 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शा.प. किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 28 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 27 29 लगायत 32 को कितनी मर्तबा आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शा.प. किया गया। वकील प्रार्थी का प्रा.पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शा.प. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	विपक्षी संख्या 28 [illegible] नहीं चाहता

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–डॉ पूजा सक्सैना, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 28/22 पत्थर

1– श्री भंवरलाल पुत्र हीरालाल जाट नि. नमारखेड़ा, तहसील मांडल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्री उगमा पुत्र बक्षु जाट नि. नमारखेड़ा त. मांडल वगैरह

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 29-03-22

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न. 410/2 कुल किता 01 रकबा 2.7696 हे० ~~बीघा~~........................बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है।जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 10/2/2022 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम लेसवा पटवार हल्का लेसवा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 410/2 ....कुल किता 01 रकबा 2.7696 हे० ~~बीघा~~ ....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक [illegible] को 1300/ रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा